We have tried to ensure usability and accessibility. If you experience accessibility issues, please contact [engagement@ndiscommission.gov.au](mailto:engagement@ndiscommission.gov.au).

# SAFEGuard Quarterly Newsletter

**अंक 3 : शरद ऋतु 2021**

**विकलांगों, आपके मित्रों, परिवार, अधिवक्ताओं और समुदाय के लिए समाचार पत्र।**

कृपया इस न्यूजलेटर को अपने नेटवर्क में विकलांग लोगों के साथ साझा करें - उदाहरण के लिए, यदि आप एन डी आई एस प्रदाता या कार्यकर्ता हैं, जो विकलांग व्यक्ति की सहायता करते हैं, या विकलांग व्यक्ति के वकील, अभिभावक, मित्र या परिवार के सदस्य हैं।

आप इस अंक और भविष्य के संस्करणों में एन डी आई एस आचार संहिता पर अधिक सूचना देखेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे आपको यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने प्रदाताओं और कर्मचारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और आपको यह कैसे पता चले कि चीजें सही नहीं हैं।

## दिसंबर 2020 के अंक में, हमने आपको भविष्य में न्यूज़लेटर में सुधार के लिए अपनी प्रतिक्रिया और कोई सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया था।

## सर्वेक्षण पूरा करने वालों को धन्यवाद। सेफगार्ड को यथासंभव रोचक और उपयोगी बनाने के लिए हम आपकी प्रतिक्रिया के साथ काम करेंगे।

**एन डी आई एस आचार संहिता**

अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षित सहायता और सेवाएं प्राप्त करना आपका अधिकार है। एन डी आई एस आचार संहिता नियमों का एक समूह है जो यह स्पष्ट करता है कि आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को आपकी सहायता करते समय कैसे कार्य करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है।

अगर आपको नहीं लगता कि कोई इन नियमों का पालन कर रहा है, तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं।

एन डी आई एस आचार संहिता के तहत, आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को चाहिए कि वे:

* **प्रासंगिक कानूनों और परंपराओं के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और निर्णय लेने के व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में कार्य करें।** इसका मतलब है कि आपको अपने निर्णय लेने का अधिकार है, अपने द्वारा चुने गए जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता का और समुदाय के किसी अन्य सदस्य के समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है।
* **विकलांग लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें।** इसका मतलब है कि आपको अधिकार है कि आपकी सहमति के बगैर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा नहीं किया जाए।
* **वे आपको सावधानी पूर्वक और कुशलता के साथ एक सुरक्षित और सक्षम तरीके से सहायता और सेवाएं प्रदान करें ।** इसका मतलब है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों के पास सुरक्षित तरीके से आपकी सहायता करने के लिए सही कौशल होना चाहिए।
* **सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।** इसका मतलब है कि आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को आपकी एन डी आई एस सेवाओं और सहायताओं के बारे में आपके साथ ईमानदार होना चाहिए, और आपकी आवश्यकताओं अनुरूप सहायता प्रदान करनी चाहिए।
* **विकलांग लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकने वाले मामलों के बारे में चिंताओं के विषय में बात करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।** इसका मतलब है कि आपके प्रदाता को लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वे शिकायत करने या समस्याओं की रिपोर्ट करने में सुरक्षित महसूस करें, और उन्हें इन शिकायतों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए।
* **सभी प्रकार की हिंसा, शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकने और उनका जवाब देने के लिए सभी उचित कदम उठाएं।** इसका मतलब है कि आपके प्रदाताओं को हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए, और अगर कभी ऐसा होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया दें।
* **यौन दुराचार को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएं।** इसका मतलब है कि आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उचित व्यवहार क्या है, और अगर आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया है तो किसे बताना है।

SAFEGuard का प्रत्येक भावी संस्करण NDIS आचार संहिता के इन भागों में से एक पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे आपको यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने प्रदाताओं और कर्मचारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और यह कैसे पता चलेगा कि कब चीजें सही नहीं हैं।

**हमसे शिकायत कैसे करें**

यदि आप अपने NDIS समर्थन और सेवाओं से असुरक्षित या नाखुश महसूस करते हैं, या यदि आपको नहीं लगता कि आपका प्रदाता या कर्मचारी नियमों का पालन कर रहा है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं।

हमारा 'शिकायत कैसे करें' ब्रोशर हमें शिकायत करने का तरीका बताता है।

[हमसे शिकायत करें]

'हम शिकायतों से कैसे निपटते हैं' नामक हमारा ब्रोशर बताता है कि जब आप हमसे शिकायत करेंगे तो क्या होगा और हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं।

**विकलांगता क्षेत्र में अधिवक्ताओं के साथ हमारा काम**

क्या आप जानते हैं कि हम नियमित रूप से विकलांगता क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलते हैं जो विकलांग लोगों के हितों और दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं?

विकलांगता सलाहकार समिति राष्ट्रीय मुद्दों पर एन डी आई एस आयोग को सलाह देती है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित एन डी आई एस सहायता और सेवाओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। समिति हमें विकलांगता क्षेत्र में एक नियामक के रूप में हमारे काम को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रतिक्रिया भी देती है।

विकलांगता सलाहकार समिति कैसे काम करती है, सदस्य कौन हैं, और पिछली बैठकों में क्या चर्चा की गई थी, यह जानने के लिए हमारी वेबसाइट [website](https://www.ndiscommission.gov.au/about/consultative-committees#dis) पर जाएं।

**एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग डेटाबेस**

ऑटम 2021 न्यूजलेटर में, हमने बताया था कि स्व-प्रबंधित एन डी आई एस प्रतिभागी एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग डेटाबेस का उपयोग करने के लिए आवेदन [apply to use the NDIS Worker Screening Database](https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database) कर सकते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि आपके कर्मचारियों को विकलांग लोगों के साथ काम करने के लिए मंजूरी दी गई है या नहीं।

यदि आपको पंजीकृत NDIS प्रदाता से कुछ एन डी आई एस सहायता या सेवाएँ प्राप्त होती हैं, तो आपके कर्मचारियों के पास एक स्वीकार्य जाँच या एन डी आई एस कार्यकर्ता स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होना चाहिए। यह कानून है। यह पुष्टि करने के लिए आप अपने प्रदाता से कह सकते हैं कि जो कर्मचारी आपकी सहायता कर रहे हैं उनके पास मंजूरी है।

यदि आप **अपनी पूरी योजना या उसके हिस्से का प्रबंधन स्वयं करते हैं**, तो आपको अपंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों से एन डी आई एस कार्यकर्ता स्क्रीनिंग जांच कराने के लिए कहने का अधिकार है। वे इसके लिए अपने राज्य या क्षेत्र की [worker screening unit (WSU)](https://www.ndiscommission.gov.au/workers/worker-screening-workers#how) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह पुष्टि करने के लिए कि कार्यकर्ता आपका समर्थन करता है, आपको NDIS वर्कर स्क्रीनिंग डेटाबेस का उपयोग करना होगा। एन डी आई एस आयोग की वेबसाइट पर डेटाबेस का उपयोग करने के लिए [Apply to use the database](https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database) आवेदन करें।

आप डेटाबेस का उपयोग यह जांचने के लिए कर सकते हैं कि क्या किसी कार्यकर्ता के पास NDIS कार्यकर्ता स्क्रीनिंग मंजूरी है। कार्यकर्ता से उनकी NDIS वर्कर स्क्रीनिंग आई डी या एप्लिकेशन आई डी मांगें - इससे आपको उन्हें डेटाबेस पर खोजने में मदद मिलेगी।

डेटाबेस का उपयोग करने में आपकी सहायता करने के लिए हमारी वेबसाइट में कार्यकर्ता स्क्रीनिंग [worker screening](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants) और संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी [resources to help you use the database](https://www.ndiscommission.gov.au/resources/qrg#ws) है।

**एन डी आई एस आयोग की वेबसाइट**

हम अपनी वेबसाइट [our website](https://www.ndiscommission.gov.au/) को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जो जानकारी ढूंढ रहे हैं हम आपके लिए उसे ढूंढना और समझना आसान बनाना चाहते हैं।

हम 2021 के अंत तक नई वेबसाइट लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं।

अगले कुछ महीनों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी नई वेबसाइट यथासंभव अच्छी है, हम विकलांग लोगों, एन डी आई एस प्रदाताओं, कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं को परीक्षण करने और सुझाए गए सुधारों पर हमें प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं

राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी (एन डी आई ए) हमें एन डी आई एस प्रतिभागियों तक पहुंचने में मदद कर रही है जो इसमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी इसमें रुचि है, तो कृपया [communications@ndiscommission.gov.au](mailto:communications@ndiscommission.gov.au) पर ईमेल करें।

**प्रतिभागी स्वागत पैक**

हमारा प्रतिभागी वेलकम पैक आपके अधिकारों, गुणवत्ता और सुरक्षित समर्थन का चयन करने और हमें शिकायत करने के तरीके के बारे में बताता है।

यदि आपके पास पहले से कोई प्रति नहीं है, तो आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मुद्रित प्रति ऑर्डर करने के लिए हमारे ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

[[Participant Welcome Pack](https://www.ndiscommission.gov.au/document/1336?utm_medium=email&utm_campaign=SAFEGuard%20Newsletter%20-%20December%202020&utm_content=SAFEGuard%20Newsletter%20-%20December%202020+CID_aa941b4da95ec48afe74ea49a7ecca16&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Participant%20welcome%20pack)]

यह मानक संस्करण के साथ-साथ ईज़ी रीड [Easy Read](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/more-information/participantpack/easyreadformat) और ऑस्लान Auslan प्रारूपों में उपलब्ध है। आप हमारे ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म [online order form](https://www.ndiscommission.gov.au/participantpackonlineform) का उपयोग करके ब्रेल कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं।

हम पहले राष्ट्र एन डी आई एस प्रतिभागियों के लिए प्रतिभागी वेलकम पैक का एक मानक संस्करण बनाने के लिए एक आदिवासी-स्वामित्व वाली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इस बीच, विशेष रूप से आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए [Aboriginal and Torres Strait Islander peoples](https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651) डिज़ाइन किए गए पैक का एक आसान रीड संस्करण उपलब्ध है।

**सुरक्षित और आनंददायक भोजन का समर्थन करना**

हम एनडीआईएस कार्यकर्ताओं के लिए नए ई-लर्निंग प्रशिक्षण मॉड्यूल बना रहे हैं। ये लघु ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचार और भोजन प्रबंधन के विषयों पर होंगे। विकलांग लोगों की वास्तविक आवाजें, कहानियां और दृष्टिकोण इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

*सुरक्षित और आनंददायक भोजन मॉड्यूल* का समर्थन में आपको फीचर करने के अवसर दिया गया हैं। यह मॉड्यूल एन डी आई एस कार्यकर्ताओं के लिए, भोजन के समय दी जाने वाली सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका, और निगलने में अक्षम किसी व्यक्ति की सहायता करते समय जोखिमों और विचारों की व्याख्या करेगा।

मॉड्यूल के निर्माता विकलांग लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें भोजन के समय सहायता की जरूरत है और यदि वे परिदृश्यों में कार्य करने और प्रस्तुत करने और अपनी आवाज़ खण्डों में फीचर करने के इच्छुक हैं।आपसे भोजन के समय के आपके अनुभवों के बारे में पूछा जा सकता है, जिन्हें NDIS कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया अपनी रुचि के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए [education@ndiscommission.gov.au](mailto:education@ndiscommission.gov.au) पर ईमेल करें।

**एन डी आई एस आयोग से कैसे संपर्क करें**

आप हमें 1800 035 544 पर कॉल कर सकते हैं। यह लैंडलाइन से निःशुल्क कॉल है। हमारा संपर्क केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक (NT में सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक) खुला रहता है।

वैकल्पिक रूप से, आप एक ईमेल भेज सकते हैं [contactcentre@ndiscommission.gov.au](mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au)

**शिकायत करने के तरीके**

अगर आप हमसे शिकायत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं:

* कॉल करें: 1800 035 544 (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या TTY 133 677 दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।
* राष्ट्रीय रिले सेवा [National Relay Service](https://www.communications.gov.au/accesshub/) का उपयोग करें और 1800 035 544 के लिए पूछें।
* • एक ऑनलाइन शिकायत संपर्क [complaint contact form](https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF) **फ़ॉर्म भरें।**

**हमारा अनुसरण करें**

**LinkedIn**: [www.linkedin.com/company/ndiscommisson](http://www.linkedin.com/company/ndiscommisson)

**Facebook:** [www.facebook.com/NDISCommission](http://www.facebook.com/NDISCommission)

**इस न्यूज़लेटर की सदस्यता लें**

यदि किसी ने आपको यह ईमेल अग्रेषित किया है, लेकिन आप चाहेंगे कि भविष्य में हम इसे सीधे आपको भेज दें, तो आप सदस्यता फॉर्म [subscription form](https://confirmsubscription.com/h/t/7CB3E6736CB42F1C) भरकर सदस्यता ले सकते हैं।